

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, ।

पटना, दिनांक-29/3/16

विषय :- राज्य के महिला सरकारी सेवकों को 180 दिनों के देय प्रसव छुट्टी (Maternity leave) के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एवं अन्य स्रोतों से यह अपेक्षा की जा रही है कि मातृत्व अवकाश की स्वीकृति के संबंध में अधिसूचना संख्या-640/वि0, दिनांक-19.01.15 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत अवकाश की कालावधि उसके प्रारंभ होने की तिथि से कितने दिनों की होगी ।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम-220 की उप नियम "ख" को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-5059 दिनांक-16.06.2014 द्वारा निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया गया है :-

“(ख) दो से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 135 दिनों की अवधि के लिए प्रसव छुट्टी दी जा सकेगी :

परन्तु यह वैसी महिला सरकारी सेवक के संबंध में भी लागू होगा जो पहले ही प्रसव छुट्टी पर जा चुकी है और उसकी प्रसव छुट्टी समाप्त नहीं हुई है ।”

3. उक्त अधिसूचना के द्वारा ही संकल्प संख्या-2498 दिनांक- 12.04.2007 को निरसित किया गया है ।

4. पुनः वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-640/वि0, दिनांक-19.01.2015 के द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के उप नियम (ख) में प्रयुक्त अंक “135” को “180” से प्रतिस्थापित किया गया है ।

इस प्रकार वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-5059/वि0, दिनांक-16.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान से स्पष्ट है कि “दो से कम जीवित संतानवाली महिला सरकारी सेवक को प्रसव छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए दी जा सकेगी ।”

विश्वासभाजन

(रवि मित्तल)

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

29/3/16

ज्ञापक- 3/एफ-01/04/2008...2555-.../वि०, दिनांक ...29/3/16.....
प्रतिलिपि :- डा० रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर Up-load करने हेतु प्रेषित ।


29/03/16

(सुदेश कुमार लाल)
उप सचिव, वित्त विभाग ।